

# भारत का सर्वोच्च न्यायालय | Supreme Court of India

भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारतीय संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत है। साथ ही, यह न्यायिक समीक्षा शक्ति रखने वाला सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान क्षेत्राधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियों, प्रक्रियाओं और संगठन से संबंधित है। संसद भी उन्हें विनियमित कर सकती है। यह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। संसद अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकती, बल्कि उसका विस्तार कर सकती है।

## सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य, Supreme Court Motto

सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यानी की मोटो है, "यतो धर्मस्तो जयः" जिसका अर्थ होता है, जहां धार्मिकता और नैतिक कर्तव्य (धर्म) है, वहां जीत है।

## सुप्रीम कोर्ट का इतिहास | History of Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- 1773 के रेगुलेंटिंग एक्ट के पारित होने के साथ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण अधिकार क्षेत्र और अधिकार के साथ एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में बनाया गया था। इसका गठन सभी आपराधिक आरोपों को सुनने और तय करने के साथ-साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सभी मामलों और कार्यवाही पर विचार करने, सुनने और निर्णय लेने के लिए किया गया था।
- किंग जॉर्ज III ने क्रमशः 1800 और 1823 में मद्रास और बॉम्बे के सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना की।
- 1861 के भारत उच्च न्यायालय अधिनियम ने विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों के साथ-साथ प्रेसीडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की नींव तक, इन उच्च न्यायालयों को सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था।
- संघीय न्यायालय को प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच संघर्षों को हल करने के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसलों की अपील सुनने का काम सौंपा गया था।
- 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया था, जिसकी बैठक 28 जनवरी, 1950 को हुई थी।

अन्य महत्वपूर्ण लेख

[42nd Amendment Act in Hindi](#)

[Fundamental Duties in Hindi](#)

[Khilafat Andolan](#)

[Indian Foreign Policy in Hindi](#)

## सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? | Supreme Court ki Sthapna Kab Huyi Thi?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित 34 न्यायाधीश हैं। 1950 में, जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे। उन्हें संसद द्वारा कानून के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है।

## सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता Supreme Court Judge Eligibility

अनुच्छेद 124 के अनुसार, एक भारतीय नागरिक जो 65 वर्ष से कम आयु का है, अनुसूचित जाति के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने का पात्र है यदि:

- वह कम से कम 5 वर्षों के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या
- वह कम से कम 10 वर्षों के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वकील रहा हो, या
- वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हैं।

### शपथ, Oath

भारत के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

### वेतन और भत्ते

वे संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और वित्तीय आपातकाल के मामले को छोड़कर उन्हें उनके नुकसान में नहीं बदला जा सकता है।

### न्यायाधीशों का कार्यकाल

- उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है।
- वह भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति CJI को हटा सकते हैं।

## सर्वोच्च न्यायालय के कार्य | Work of Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य निम्न हैं:

- यह उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील करता है।
- यह विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के बीच, राज्य सरकारों के बीच, और केंद्र और किसी भी राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करता है।
- यह उन मामलों को भी सुनता है जिन्हें राष्ट्रपति अपनी सलाहकार भूमिका में संदर्भित करता है।
- सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर (अपने दम पर) मामलों को भी ले सकता है।
- SC द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों और संघ के साथ-साथ राज्य सरकारों पर बाध्यकारी है।

## सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, Jurisdiction of Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र तीन प्रकार के हैं:

- मूल अधिकार - उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से जुड़े लेख में पढ़ें।
- एडवाइजरी अधिकार - सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी क्षेत्राधिकार पर नोट्स लिंक किए गए लेख में दिए गए हैं।
- अपीलीय अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में स्पष्ट की गई है। संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132) में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह दीवानी (सिविल) अथवा फौजदारी में से किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

## सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक प्रावधान | Constitutional Provisions of Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान में इस प्रकार है:

- भारतीय संविधान के भाग V (संघ) और अध्याय 6 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान (संघ न्यायपालिका) की अनुमति है। इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक शामिल हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में प्रावधान है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) हो और सात से अधिक अतिरिक्त न्यायाधीश न हों, जब तक कि संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित न करे।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसमें शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी है।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है।
- इसके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जो इसे विधायी और कार्यकारी कार्यों को उलटने की अनुमति देता है जो संविधान के प्रावधानों और योजना, संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, या संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

## सुप्रीम कोर्ट की सीट

सुप्रीम कोर्ट की सीट को संविधान के तहत दिल्ली के रूप में नामित किया गया है। यह मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान या स्थान को नियुक्त करने का भी अधिकार देता है। राष्ट्रपति की मंजूरी से ही वह इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। यह खंड केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी अदालत को राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में एक अलग स्थान चुनने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

## सर्वोच्च न्यायालय की न्याय प्रक्रिया, Judicial Process of Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय की न्याय निर्णय प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- राष्ट्रपति की सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम जारी कर सकता है जो न्यायालय के सामान्य अभ्यास और प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
- [अनुच्छेद 143](#) के तहत राष्ट्रपति द्वारा लाए गए संवैधानिक मामलों या संदर्भों पर कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक पीठ निर्णय लेती है। अन्य सभी परिस्थितियों में, कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ का उपयोग आमतौर पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है।
- फैसले खुली अदालत में सौंपे जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं, लेकिन न्यायाधीश असहमत होने पर विरोधी निर्णय या राय प्रदान कर सकते हैं।

## सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त स्वतंत्रता | Independence of Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट को न्याय निर्णय, सेवा शर्तों हेतु कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता निम्न हैं:

1. सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, साथ ही लोगों के मौलिक अधिकारों और संविधान का संरक्षक भी है।
2. इसकी स्वायत्तता इसे सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) और विधायी अतिक्रमणों, दबावों और हस्तक्षेपों (संसद) से मुक्त होना चाहिए। यह बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए।
3. सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और गारंटी के लिए, संविधान में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
  - नियुक्ति का तरीका
  - कार्यकाल की सुरक्षा
  - निश्चित सेवा शर्तें
  - संचित निधि पर प्रभारित व्यय
  - न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती
  - सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध
  - इसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति
  - अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता
  - इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती
  - कार्यपालिका से अलगाव

# सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां | Powers and Jurisdictions of Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:

## मूल न्यायाधिकार, Original Jurisdiction

- अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
- कार्य विशुद्ध रूप से संघीय हैं जिसमें संघ और राज्यों, भारत सरकार और राज्यों की सरकार के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद शामिल हो सकते हैं।
- मूल क्षेत्राधिकार अनन्य है जिसका अर्थ है कि ऐसे विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं, किसी अन्य न्यायालय में नहीं।
- यदि किसी निजी पक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद लाया जाता है तो इसे सहन नहीं किया जा सकता।

## रिट क्षेत्राधिकार, Writ Jurisdiction

यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से रिट जारी करने के लिए कह सकता है। लेकिन यह तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

## अपील न्यायिक क्षेत्र, Appellate Jurisdiction

- सुप्रीम कोर्ट अपील की अदालत है। जब निचला या उच्च न्यायालय निर्णय देता है तो व्यक्ति निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में अपील तीन प्रकार के मामलों में की जा सकती है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले।
- सिविल मामले, किसी भी संवैधानिक प्रश्न के बावजूद।
- आपराधिक मामले, किसी भी संवैधानिक प्रश्न के बावजूद।
- विशेष अवकाश द्वारा अपील
- ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरणों के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है जहां न्याय का प्रश्न शामिल है। ऐसी अवशिष्ट शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 136 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

## सलाहकार क्षेत्राधिकार, Advisory Jurisdiction

कुछ परिस्थितियों में, राष्ट्रपति राय लेने के लिए मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं कि इस मामले में कानून या जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 143) से राय लेना उचित होगा।

## कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, Court of Record

सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाही दर्ज की जाती है और केस लॉ का रूप धारण करती है। इस तरह के फैसले भारत में सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है और कानूनी और न्यायिक न्यायशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। न्यायालय संविधान निर्माताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। लोगों की प्रथागत सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय कभी भी अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों के प्रति असावधान या हानिकारक नहीं रहा है, बल्कि हमेशा जीवित रहा है और उनकी रक्षा करता रहा है।

**Related Articles:**

- [IPC 498A](#)
- [Election Commission of India in Hindi](#)
- [Parliamentary System in India in Hindi](#)
- [Bharat Sarkar Adhinyam 1935](#)

